हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 55

बुधवार, 28 अगस्त, 2019/6 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1385 (स्थगित) सदस्य के उपस्थित न होने के कारण नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1402 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1476 से 1479 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1480 से 1509 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 426 से 430 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, निदेशक (अभियोजन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह(जी)-ए(3)-1/2010 दिनांक 24.01.2019 व 15.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2019 व 20.04.2019 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (कम्प्यूटिंग), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)10-19/2010 दिनांक 15.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.07.2019 को प्रकाशित।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 49वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 50वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 51वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 52वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 53वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 54वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 55वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति का 56वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति,** (वर्ष 2019-20) ने समिति का 18वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा संख्याः 3.11 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,** (वर्ष 2019-20) ने समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना छठा कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8)" पर विचार किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने चर्चा की।

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5 और 6 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"**हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8)"पारित हुआ।**

(ii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघा, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा श्रीमती आशा कुमारी ने स्पष्टीकरण मांगे।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने बिल को प्रवर समिति (Select Committee) को भेजने की मांग की तथा **श्री राकेश सिंघा** ने पुनः स्पष्टीकरण मांगा।

मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बिल को Law Ministry द्वारा गहन विचार-विमर्श के पश्चात लाया गया है, इसलिए इसे पास किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि " हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9)" पारित हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की ओर से श्री बिक्रम सिंह, माननीय उद्योग मंत्री को जन्म दिन की बधाई दी।

सदस्य द्वारा सूचना

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य ने समाचार-पत्र में छपी ख़बर 'एच.आई.वी. पॉजिटिव की गलत रिपोर्ट पर कौमा में गई महिला', की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने तथा दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) द्वारा की जाएगी जो 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके पश्चात मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

8. नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

(1) **मुख्य मंत्री** ने दिनांक 27 अगस्त, 2019 को नियम-130 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।

"प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(01.40 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.45 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.45 बजे अपराह्न श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

(2) **श्री राकेश पठानिया, सदस्य** ने नियम-130 के अंतर्गत निम्नलिखित विषय उठाया -

"World Bank Funded Horticulture Development Projectपर यह सदन विचार करे"।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया -

माननीय सदन से अनुरोध है कि आज दिनांक 28.08.2019 को 04.00 बजे अपराह्न गयेटी थियेटर, शिमला में पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के निधन पर श्रद्धांजली सभा आयोजित होगी, इसलिए सदन की कार्यसूची में सम्मिलित विषयों में से आज केवल वही विषय चर्चा हेतु लिए जाएं जो 4.00 बजे अपराह्न तक पूरे किए जा सकें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि आज की कार्यसूची में सम्मिलित विषयों के साथ माननीय सदस्यों द्वारा दी गई कई अन्य सूचनाएं चर्चा हेतु लंबित हैं तो सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए।

मुख्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर सभी पक्षों से वार्ता कर निर्णय लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया कि जो विषय श्री राकेश पठानिया जी ने नियम-130 के अन्तर्गत रखा है, उस पर आगे चर्चा कर ली जाए और बाकी विषय किसी अगले कार्य-दिवस पर चर्चा हेतु लिए जाएं।

श्री राकेश पठानिया ने अपने प्रस्ताव पर चर्चा की।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री राजेन्द्र राणा
2. श्री विक्रमादित्य सिंह
3. श्री राकेश सिंघा
4. श्री नंद लाल
5. श्री जगत सिंह नेगी
6. श्री जवाहर ठाकुर

04.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 29 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।